अपील रसद संख्या 11/2020(RCMS No. : 2020/11) सुशील कुमार पुत्र उत्तम चन्द, मैसर्स शर्मा ऑयल स्टोर, प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार, पी. ओ.एस. – 11465, ग्राम पंचायत रिड़मलसर (पिन–335061) मोबाईल नम्बर 80946–09586, तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.04.2022

अपीलार्थी सुशील कुमार पुत्र उत्तम चन्द मैसर्स शर्मा ऑयल स्टोर स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार उपस्थित हुए।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 26.04.2020 के विरूद्ध पेश की हुई है और निवेदन किया है कि उसके द्वारा राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी आदेश व दिशा–निर्देश का उल्लंघन नहीं किया गया है इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उसका प्राधिकार पत्र संख्या 36/2003 बहाल करने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत होने पर इस कार्यालय में प्रकरण संख्या 11/2020 अनवान् सुशील कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी के रूप में दर्ज हुई है और यह अपील लगभग छः माह 15 दिवस के पश्चात पेश की है जबकि नियमानुसार 30 दिवस में अपील पेश हो सकती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील एडमिशन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी को बार–बार आवाज लगाने पर भी वे उपस्थित नहीं हुए है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उक्त अपील को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:39 IST
Reason: SelfAttested